राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 362/2025

उम्मेद सिंह जाटव —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त अति मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सुनील कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, उपखण्ड हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :— विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी दिनांक 14.01.2025 के आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी को जल संसाधन विभाग उपखण्ड हिंडौनसिटी, जिला करौली से जल संसाधन विभाग सब डिवीजन शाहपुरा खण्ड—प्रथम भीलवाड़ा में स्थानांतरित किया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर नियुक्त किया गया है और उक्त स्थानांतरण आदेश दो वर्ष बाद जारी किया गया है। उक्त आदेश बिना किसी प्रशासनिक कारण के जारी किया गया है, लेकिन केवल निजी को प्रत्यर्थी को समायोजित करने के लिए जारी किया गया है। अपीलार्थी कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्यरत है तथा वर्ष 2017 में नियुक्त हुआ था तथा तब से वह विभिन्न स्थानों तथा हनुमानगढ़ और झालावाड़ जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे चुका है तथा आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक—2) द्वारा उसे सांगोद, जिला कोटा से हिंडौन सिटी जिला करौली में देवेन्द्र कुमार के स्थान पर स्थानांतरित किया गया था तथा आदेश दिनांक 27.9.2022 की अनुपालन में वह वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर चुका है। अपीलार्थी दो वर्ष और कुछ माह से कार्यरत है, लेकिन आदेश दिनांक 14.1.2025 द्वारा उसे बिना किसी प्रशासनिक कारण के प्रत्यर्थी संख्या 3 को समायोजित करने के लिए हिण्डौनसिटी, करौली से दूरस्थ स्थान शाहपुरा, भीलवाड़ा स्थानांतरित कर दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 को निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ जेईएन जल संसाधन विभाग उपखण्ड हिंडोनसिटी, जिला करौली में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 14.01.2025 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जल संसाधन विभाग उपखण्ड हिंडौनसिटी, जिला करौली से जल संसाधन विभाग सब डिवीजन शाहपुरा खण्ड–प्रथम भीलवाड़ा किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2022 से कार्यरत है। अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अपीलार्थी के आलौच्य आदेश से उत्पन्न होने वाली परेशानी या असुविधा के संबंध में नियोक्ता का उस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष